निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 752) पटना, बुधवार, 7 अगस्त 2024

विधि विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2024

सं० एल०जी०–01–16/2024/4870 लेजः––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक–06 अगस्त, 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैः–

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 19,2024)
बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत–गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।– (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–19 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 19 में आए शब्द ''मुख्य पार्षद'' के बाद ''उप मुख्य पार्षद'' शब्द अंतःस्थापित किया जायेगा।

3. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–24 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 24 में आए शब्द ''मुख्य पार्षद'' के बाद शब्द ''उप मुख्य पार्षद'' अंतःस्थापित किया जायेगा।

4. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–25 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) को विलोपित किया जायेगा।

5. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–27आ का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 27आ की उपधारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''(2) इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियमावली या उपविधि के द्वारा निर्धारित प्रशासन चलाने के लिए नगरपालिका के कार्यपालक कृत्य मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी में निहित होंगे।''

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 27आ की उपधारा (7) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''(7) किसी कारण से मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों में यथा विनिर्दिष्ट अथवा इस अधिनियम में अन्यत्र अथवा इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियमावली के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग नगरपालिका के उस पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा जिसे इस हेतु मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के द्वारा नामित किया जाय।''

6. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–52 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित उपधारा (5) जोड़ा जायेगाः–

''(5) नगरपालिका की किसी बैठक में राज्य सरकार के किसी नियम/निर्देश के विरूद्ध अथवा उससे असंगत प्रस्ताव पर अनुमोदन/विचार नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के प्रस्ताव पर मुख्य पार्षद अथवा पीठासीन पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव नगरपालिका के किसी बैठक में लाया जाता है तो इसे मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा विचार हेतु राज्य सरकार को भेजा जाएगा और इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

7. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–55 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''(1) नगरपालिका की प्रत्येक बैठक में केवल सदस्यों की ही भागीदारी होगी।''

8. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–60 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 60 के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः–

''परन्तु यह कि नगरपालिका तथा नगरपालिका समिति की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त बैठक के आयोजन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से निर्गत किया जायेगा। बैठक का कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा जो इस पर सदस्य सचिव के रूप में अपना हस्ताक्षर करेंगे और इसे मुख्य पार्षद अथवा बैठक की अध्यक्षता कर रहे पार्षद को हस्ताक्षर हेतु भेजा जायेगा और मुख्य पार्षद अथवा बैठक की अध्यक्षता कर रहे पार्षद के हस्ताक्षर के उपरान्त बैठक का कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

9. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–80 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 80 में आए शब्द ''विनियम'' को शब्द ''नियम/विनियम'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–143 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 143 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''143. **अपील**–(1) अपनी आपत्ति पर पारित आदेश से असंतुष्ट किसी व्यक्ति के द्वारा नगर निगम के मामले में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं नगर परिषद् तथा नगर पंचायत के मामले में संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ अपील की जा सकेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(2) ऐसी अपील धारा–142 के अन्तर्गत आदेश पारित होने के तीस दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। अपील के साथ आपत्ति पंजी एवं पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न रहेगी एवं इसका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित रीति से किया जायेगा।

(3) इस धारा के अन्तर्गत सभी अपील पर भारतीय परिमितता अधिनियम, 1908 के भाग–II के प्रावधान लागू होंगे।

(4) धारा 142 के अन्तर्गत प्रथम बार जिन आपत्तियों का निर्धारण नहीं हुआ हो उन पर अपील स्वीकार्य नहीं होगी।

(5) प्रमण्डलीय आयुक्त या जिला पदाधिकारी के निर्णय को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा लागू किया जायेगा।

(6) इस धारा के अन्तर्गत अपील पर निर्णय लंबित रहने पर कर निर्धारण या देय होल्डिंग करों अथवा उनकी किस्तों की वसूली पर रोक नहीं रहेगी किन्तु अपील के अधीन कर निर्धारण पर ऐसा निर्धारण होता है कि ऐसा कर नहीं लगाया जाना था या ऐसे कर अथवा उसकी किस्त की वसूली नहीं की जानी थी, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा ऐसा व्यक्ति को ऐसे वसूले गये कर अथवा अधिक वसूले गये अंश की वापसी पारित अंतिम निर्णय के आलोक में की जायेगी अथवा भविष्य में उद्भूत होने वाले मांग के विरूद्ध उसका समायोजन किया जा सकेगा।

11. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–147 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 147 में आए शब्द ''विनियमों'' को शब्द ''नियमों/विनियमों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

12. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–148 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 148 में आए शब्द ''विनियम'' को शब्द ''नियम/विनियम'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

13. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–150 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 150 में आए शब्द ''विनियमों'' को शब्द ''नियमों/विनियमों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

14. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–151 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 151 में आए शब्द ''विनियम'' को शब्द ''नियम/विनियम'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

15. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–152 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 152 में आए शब्द ''विनियमों'' को शब्द ''नियमों/विनियमों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

16. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–221 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 221 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''221. ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन का सौंपा जाना तथा प्रभार का बिल तैयार करना और उनका संग्रहण।– इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका द्वारा ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और संचालन के प्रयोजनार्थ तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव से संबद्ध बुनियादी सुविधा यदि कोई हो, के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित नियम/विनियम के अनुसार प्रभार उद्गृहित किया जाएगा और उसका भुगतान ऐसी दर पर किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार या नगरपालिका समय–समय पर नियत करें, परन्तु इस संबंध में किसी भी कार्य हेतु यदि राज्य सरकार द्वारा पूर्व से कोई दर निर्धारित किया गया हो, तो वही लागू होगा।

परन्तु यह कि यथापूर्वोक्त प्रभार यथासाध्य ऐसा होगा जिससे कि इसमें नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन तथा उसके संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव हेतु बुनियादी सुविधाओं, यदि हो, मद में लागत तथा ऋृण शोधन कार्य की लागत, संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य ह्रास और अन्य प्रभार, यदि हो, सम्मिलित हो;

परन्तु यह और कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन से ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव संबंधी और संचालन और पूर्वोक्त

प्रभार के बिल की तैयारी और उसके संग्रहण संबंधी कार्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण को अथवा किसी अन्य अभिकरण को सौंप सकेगा।''

परन्तु यह और कि राज्य सरकार किसी भी नगरपालिका के लिए विकेन्द्रीकृत रूप से या नगरपालिका के समूह/कलस्टर का गठन करके केन्द्रीकृत रूप से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान का निर्णय ले सकती है, जिसमें एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार या किसी नगरपालिका द्वारा की जा सकती है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय।

17. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–228 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 228 में आए शब्द ''विनियम'' को शब्द ''नियम/विनियम'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

18. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–419 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 419 की उपधारा (3) को विलोपित किया जायेगा।

19. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–421 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 421 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''**421. विनियम बनाने की शक्ति।**–राज्य सरकार/नगरपालिका समय–समय पर, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुरूप विनियम बना सकेगी।''

20. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–422 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 422 की उप धारा (ख) में आए शब्द ''नगरपालिका'' को शब्द ''नगरपालिका/राज्य सरकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 422 की उप धारा (ग) में आए शब्द ''सशक्त स्थायी समिति'' को शब्द '' सशक्त स्थायी समिति /राज्य सरकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

21. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–425 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 425 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''**425. विनियम के बारे में अनुपूरक उपबन्ध।**– कोई विनियम, जो इस अधिनियम के अधीन बनाया जा सके, वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् राज्य सरकार/नगरपालिका द्वारा आवश्यकतानुसार बनाया जा सकेगा।''

7 अगस्त 2024

सं० एल०जी०–01–16/2024/4871 लेजः––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2024 को अनुमत बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 19, 2024) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :–

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(BIHAR ACT 19, 2024)

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2024

AN

ACT

To amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007).

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the seventy fifth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement. - (1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment of Section-19 of Bihar Act 11, 2007.

(i) After the words “Chief Councillor” appearing in Section 19 of the said act the words “Deputy Chief Councillor” shall be inserted.

3. Amendment of Section 24 of Bihar Act, 11, 2007.

After the words "Chief Councillor" appearing in Section 24 of the said Act, the words “Deputy Chief Councillor” shall be inserted.

4. Amendment of Section 25 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Sub - section (3) of Section 25 of the said Act shall be deleted.

5. Amendment of Section 27 B of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Sub-section (2) of Section 27 B of the said Act shall be substituted by the following:-

"(2) The executive functions for running the administration of the Municipality under provision of this Act and any Rules or Bye-laws made there under shall vest in the Chief Municipal Officer."

(ii) Sub-section 7 of Section 27 B of the said Act shall be substituted by the following:-

"(7) In the case of absence of the Chief Municipal Officer for any reason, the powers of the Chief Municipal Officer as specified in the previous provisions of this section or elsewhere in this Act or the Rules made under this Act, shall be exercised by any officer of the Municipality as may be nominated by the Chief Municipal Officer.

6. Amendment of Section 52 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) After sub-section (4) of Section 52 of the said Act, the following sub-section (5) shall be added:-

"(5) No proposal against or inconsistent with any rule/instruction of the State Government shall be approved/ considered in any meeting of the Municipality and Such proposal shall not be considered by the Chief Councillor or the Presiding Officer. In case if such proposal is brought in any meeting of the municipality then it shall be sent to the State Government for consideration, by the Chief Municipal Officer, and the decision of State Government shall be final in this regard.

7. Amendment of Section 55 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Sub-section (1) of Section 55 of the said Act shall be substituted by the following :-

“(1) Every meeting of the Municipality shall be attended by the members only.”

8. Amendment of Section 60 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The following proviso shall be added after Section 60 of the said Act:-

"Provided that the minutes of every meeting of the Municipality and of a Municipal Committee shall be compulsorily issued within one week from the date of convening of the meeting. The minutes of the meeting shall be prepared by the Chief Municipal Officer, who will put his signature on it as Member Secretary and will send it to the Chief Councillor or Councillor presiding over the meeting for signature and after the signature of the Chief Councillor or Councillor presiding over the meeting, the minutes of the meeting shall be issued by the Chief Municipal Officer.

9. Amendment of Section 80 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 80 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

10. Amendment of Section 143 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Section 143 of the said Act shall be substituted by the following :-

"143. **Appeal** - (1) Any person dissatisfied with the order passed on his objection may appeal to the concerned Divisional Commissioner in the case of Municipal Corporation and to the concerned District Magistrate in the case of Municipal Council and Nagar Panchayat, whose decision shall be final.

(2) Such appeal shall be presented within thirty days of the date of the order passed under Section 142. A copy of the extract of the objection register and the order passed shall be attached with the appeal and Shall it be disposed of according to such procedure as may be prescribed by the State Government.

(3) The provisions of Part Il of the Indian Limitation Act, 1908 relating to appeals shall apply to every appeal preferred under this section.

(4) No appeal shall be admitted under this section unless an objection has first been determined under Section 142.

(5) The decision of the Divisional Commissioner or District Magistrate shall be implemented by the Chief Municipal Officer.

(6) There shall be no bar on the determination or realization of any tax or installment thereof payable in respect of any holding due to pendency of an appeal or decision under this section. But if by the final decision in the appeal, it is determined that such tax ought not to have been levied or such tax or installment ought not to have been realized then the Chief Municipal Officer shall refund to such person the amount of such tax realized or such part of amount realized in excess in accordance with such final decision, as the case may be, or such excess amount shall be adjustable against future demand.

11. Amendment of Section 147 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 147 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

12. Amendment of Section 148 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 148 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

13. Amendment of Section 150 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 150 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

14. Amendment of Section 151 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 151 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

15. Amendment of Section 152 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 152 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

16. Amendment of Section 221 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Section 221 of the said Act shall be substituted by the following:-

"221. **Entrustment of management and handling of solid wastes and billing and collection of charges** – Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, for the purpose of management, handling of Municipal Solid Wastes and for development of infrastructure, if any, for collection, storage, transportation, processing and disposal of such solid wastes, a charge shall be levied and payment shall be made at such rate as fixed by the Municipality or the State Government from time to time; however if the rate for any work in this regard has already been fixed by the State Government, then the same shall be applicable.

Provided that the charges as aforesaid shall, as far as practicable be such as shall cover the costs on account of management and handling of Municipal Solid Wastes and development of infrastructure, if any, for collection, storage, transportation, processing and disposal thereof and also the costs of debt-servicing, depreciation of plant and machinery and other charges, if any;

Provided further that the Chief Municipal Officer may with the prior approval of the Empowered Standing Committee, entrust development of infrastructure for collection, storage, transportation, processing and disposal of solid wastes, the work of management and handling of municipal solid wastes and the work of billing and collection of the charges as aforesaid to any agency under any law for the time being in force or to any other agency.

Provided further that the State Government may decide to undertake collection, storage, transportation, processing and disposal of municipal solid waste through decentralized approach for any Municipality or centralized approach by forming a group/cluster of Municipalities, with process of selection of agency to be carried out by the State or any Municipality as decided by the State Government.

17. Amendment of Section 228 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 228 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

18. Amendment of Section 419 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Sub Section(3) of section 419 of the said Act shall be deleted.

19. Amendment of Section 421 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Section 421 of the said Act shall be substituted by the following:-

"**421. Power to make regulations**.- The State Government/Municipality may, from time to time, make regulations consistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder, for the purpose of giving effect to the provisions of this Act."

20. Amendment of Section 422 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Municipality" appearing in Sub Section (b) of section 422 of the said act shall be substituted by the word "Municipality/ State Government".

(ii) The word "Empowered Standing Committee" appearing in Sub Section (c) of section 422 of the said act shall be substituted by the word "Empowered Standing Committee /State Government".

21. Amendment of Section 425 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Section 425 of the said Act shall be substituted by the following:-

"**425. Supplementary provisions respecting regulations** - Any regulation Which may be made under this Act may be made by the State Government/Municipality as per need, after commencement of this Act."

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 752-571+400-डी0टी0पी0 ।
Website: http://egazette.bih.nic.in